"आदिवासी जनजातियों के जीवन में आर्थिक आयाम"

श्रीमति सुन्दरवती यहके
सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र
शासकीय महाविद्यालय मेंहदवानी
जिला–डिन्डौरी म.प्र. 481672

सारांश

आदिवासी समाज वह समूह है जो आदिकाल एवं सभ्यता काल के जीवन प्रतिमानव से सम्बंधित है, तथा अशिक्षित और कथित सभ्यता से दूर है आदिवासी समाज की अपनी एक विशिस्ट पहचान होती है ये प्राचीन आदिवासी जनजाति समाज आर्थिक और सामाजिक जीवन के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं जो गिरी, जंगलों, पर्वतों, पठारों और मिरजन जैसे एकांत क्षेत्रों मे निवास करने तथा विशिष्ट समाजिक सगंठन एवं सांस्कृतिक जीवन के विकास के कारण अन्य समाजो कि तुलना में अनेक विभिन्नताओं से युक्त है, वास्तव में आदिवासी जनजतियों का रहन–सहन, उनका नृत्य एवं संगीत उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनका अर्थतंत्र या आय का साधन, उनकी सांस्कृतिक सब कुछ प्रकृति के साथ तालमेल से संचालित होता है, अतः इनके समस्याओं के समाधान के लिए इस बात को ध्यान में रखकर प्रयास आवश्यक है, इस आवश्यकता आज इस बात की भी है कि सरकार, राजनेता, बुद्धिजीवी, और आकदमिशियन पूरे देश में आदिवासी जनजातियों की सभी समस्याओं समायोजन कर नए सिरे से रूप रेखा रेखाअंकित कर उनका समाधान निकालें अन्यथा गरीबी, शोषण, अन्याय, धर्मांतरण, नक्सलवाद, अलगाववाद अर्थात अलग राज्य की मांग जैसे चुनौतियॉ नित्य नए दिन–प्रतिदिन प्रकट होती रहेगी और यह सभी विकास आदिवासी जनजातियों के नाम पर अंधी गलियों में भटकते रहेंगे।

कुंजी शब्द– आदिवासी जनजाति समाज, आदि काल, शब्द काल, सभ्यकाल, उत्पत्ति विस्तार एवं विकास आर्थिक आयाम विकास।

प्रस्तावना– भारत को हम भले ही समृद्ध विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल कर लें लेकिन आदिवासी अब भी समाज के मुख्य धारा से कटे नजर आते हैं' इनके जीवन शैली प्राचीन काल से वर्तमान तक यह परंपराओं पर ही आधारित है, इनके जीवन में गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक समस्या आदि समस्या आज भी कायम है आदिवासी जनजाति का मुख्य समस्या आर्थिक व्यवस्था माना गया है, जिसके अभाव में आदिवासी जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान अपना जीवन यापन करने के लिए पलायन करना पड़ता है। प्राचीन काल में जल, जंगल, और जमीन आदिवासियों का परंपरा संपत्ति माना जाता था, लेकिन विदेसियों के आक्रमण के बाद धीरे–धीरे यह संपत्ति आदिवासियों जनजातियों के हाथों से छिन्ता गया और यह समाज उन संपत्तियों से अब कोसों दूर होते चले गए जो आज इन संपत्ति आदिवासियों के लिए दुर्लभ एवं गोंड़ संपत्ति के रूप में विकल्प बनकर रह गया है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद आदिवासी जनजातियों को सरकार उनकी संपत्ति आज तक वापस करने में कायम नहीं हो पाई है। आए दिन अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए आदिवासी जनजाति मांग करते रहते हैं, जो आज उनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या आर्थिक स्थिति है, जिसके अभाव में आदिवासियों जनजातियों का विकास संभव नजर नहीं आ रहा है।

अर्थ– सामान्यत आदिवासी शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है, जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो, प्राचीन आदिवासी जनजाति निवासियों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे इंडियन प्राचीन साहित्य में दस्यु निषाद आदि का उल्लेख किया गया है। आदिवासी जनजातियों के समानार्थी शब्दों में एब्रोरीजीनल, इंडीजीनस, देशज, मूलनिवासी, जनजाति, गिरिजन, बर्बर आदि प्रचलित है।

परिभाषा– **राकेश देवड़ा विरसा बीग्रेट** के अनुसार आदिवासी भारत भूमि का इंडिजिनियस एबोरिजिनिल आदिवासी गढ़ समूह है जो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, समृद्धि पर्वत माला और चंबल, और बनाससुन्नी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी नदियों की उत्पत्ति काल से भारत के मूल मिट्टी, पानी, आंधी, हवा, में जन्मा उपजा बीज मूल वंश है।

कृषि आधार – प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक आदिवासी की अर्थ जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि एवं लघु वनोपज पर आधारित थी इसमें लगभग 80 प्रतिशत लोग कार्य करते हैं। अधिकांश आदिवासी जनजातियों का परिवार कृषि मजदूरी कृषि के साथ–साथ पशुपालन बकरी पालन मुर्गी पालन सुअर पालन का कार्य भी करते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन ही है। भारत की जनसंख्या में आदिवासी जनजातियों का विशेष स्थान है, लेकिन भारत के आर्थिक विकास में आदिवासी जनजातियों का विशेष स्थान नहीं मिल पाया है, इस प्रकार 2021 की जनगणना के अनुसार आदिवासी जनजातियों की आबादी दो तिहाई से अधिक प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं और कुछ अन्य कार्य भी कर लेते हैं लेकिन अधिकतर आदिवासी जनजाति पूर्ण रूप से अभी भी कृषि पर आधारित है इस प्रकार आदिवासी जनजातियों द्वारा वर्ष में दो प्रकार की खेती की जाती है 1. सियारी की फसलें 2. उन्हारी की फसलें।

सियारी फसल– आदिवासी जनजातियों की एक अलग भाषा होने के कारण आदिवासी लोग खरीफ की फसल को सियारी की फसल कहते हैं, उनका मानना था, कि समय सियारी की फसलें बोई जाती हैं, उस समय सियार अर्थात लोमड़ी अधिक मात्रा में बोलते थे, इसलिए इस फसल को सियारी की फसल कहते हैं। सियारी की फसल जैसे कोदो–कुटकी पटसन, उड़द, मूंग, जगनी, रमतिला, कजरिया, सामा, चेंज भाजी, मक्का, धान, बाजरा, ज्वार, अरहर, तिलहन, सूरजमुखी आदि।

उन्हारी फसल– उन्हारी की फसलें रवि की फसल होती है यह फसल धान कटाई के बाद बोई जाती है, इस फसल को आदिवासी जनजाति उन्हारी इसलिए कहते हैं कि इस फसल को हल के द्वारा 10 फीट के एक लंबी लकड़ी हल में 3 फिट पोल पाइप वाला बास उसके ऊपर लकड़ी की ओखली लगाई जाती है, उस बास और ओखली को उनको एक रस्सी लपेटकर हल में बांध दिया जाता है। इसके माध्यम से आदिवासी जनजातियों ने उरई का काम करते हैं जिसमें अनाज सीधे जमीन के अंदर पर गिरता है, इसके कारण आदिवासी इस फसल को उराई करने की वजह से उन्हारी कहते हैं, उन्हारी की फसलें जैसे बटरा, मसूर, गेहूँ, अलसी, चना आदि इस प्रकार आदिवासी जनजाति समाज कुछ अनाज अपने गुजर बसर हेतु बचाकर बाकी सभी अनाज को बाजार में बेच दिया जाता है, जिससे उनके पास वर्ष भर के लिए आर्थिक व्यवस्था बनी रहती है लेकिन कई आदिवासी जनजातियों में कृषि उनकी सटीक एवं परंपरागत पैसा नहीं रहा इसलिए ऐसे कार्य में भी पारंगत नहीं है। आधुनिक कृषि प्रणाली एवं पद्धति उनसे दूर थी लेकिन वही आधुनिक संसाधनों के माध्यम से अपनी स्थिति में सुधार कर रहे हैं।

पलायन–आदिवासी जनजाति समुदायों का पलायन देश के प्रमुख समस्या के रूप में उभरी नजर आ रही है जिसके कारण मजबूरी में अपने घर परिवार का पालन पोषण हेतु भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर जाने के लिए बाध्य होता है। आदिवासियों जनजातियों को जीविका के लिए अपने आर्थिक समस्याओं को सुधार हेतु पलायन करने को नौबत आती है, क्योंकि अपने क्षेत्रों के संसाधनों पर तथा शासन के कार्यों में उन्हें वर्ष भर मजदूरी नहीं मिलने के कारण या सुनहरा सपना देख कर या, ज्यादा पैसा कमाने के लोभ से भी पलायन किया जाता है पलायन एक हद तक गरीबी और मजदूरी का कारण बनता है। आदिवासी जनजाति समुदाय में पलायन एक विकराल समस्या है इसके समाधान हेतु आदिवासी समाज को जीविका के विकल्पों को अपने ही क्षेत्रों में तलासनी होगी तभी समुदाय के प्रकृति और विरासत को बचा पाएंगे आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले पलायन जैसे–

1. व्यक्तिगत पलायन
2. परिवारिक पलायन
3. थोक पलायन

1.व्यक्तिगत पलायन– आदिवासी जनजाति समुदाय में व्यक्तिगत पलायन भी किया जाता है क्योंकि कभी–कभी आदिवासियों जनजातियों में यह मजबूरी होती है कि उसे अपने परिवार के जीवन यापन के लिए परिवार के सदस्यों को अपने गृह में छोड़कर अकेला ही पलायन करना पड़ता है ताकि वह अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति कर सकें।

2. पारिवारिक पलायन– आदिवासी जनजाति समुदाय अधिकतर परिवार के साथ पलायन पसंद करती थी और वर्तमान समय में भी पलायन करते है उनका मानना है कि परिवार का काई सदस्य भी अदि घर में रुक जाता हैं तो इसे संपर्क करने में बहुत समस्या होती थी लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी सुविधाएं होने के कारण समस्या थोड़ी कम हो गई है तभी प्रायः देखा जाता है कि कुछ क्षेत्र भी उतने ही पिछड़े हुए हैं जितने प्राचीन समय में पिछड़े थे, लेकिन परिवार के साथ पलायन करने से उनको आर्थिक समस्याओं का समाधान होती नजर आई है।

3.थोक में पलायन– आदिवासी जनजाति थोक के रूप में पलायन करते हैं थोक से तात्पर्य यह है कि आदिवासी जनजाति लोग पूरा गांव ही मजदूरी की तलाश में फसल बुवाई के बाद तथा फसल कटाई के बाद पलायन करते हैं हम यह कह सकते हैं कि जनजाति जनजाति समाज वर्ष में दो बार पलायन अवश्य करती है क्योंकि फसल बुवाई के बाद एक डेढ़ माह तक आदिवासी बेरोजगार हो जाते हैं उनके पास उसके बाद काम नहीं रहता इसलिए आदिवासी जनजाति थोक के रूप में एक शहर से दूसरे शहर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में पलायन करते हैं।

गौड़ संपत्ति संचयन– प्राचीन समय से ही आदिवासी जनजाति अपना जीवन यापन हेतु जंगलों पर निर्भर रहे हैं आदिवासी जनजाति लोग जल जंगल जमीन को ही अपना जीवन का अंग मानते आ रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में आदिवासी जनजाति समूह पशुओं का शिकार करके अपना काम चलाते थे। जंगलों में रहना अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे आदिवासी जनजातीय लोग जंगलों से बहुत सारे चीजों का संग्रहण करते थे जैसे चार, तेंदू, भीलवा, करौंदा, कोसुम, हर्रा बहेरा, महुआ, फूल, गुल्ली, कंदमूल, फल, बेर, आम, आदि, इस समुदाय के लोग सामूहिक रूप से जंगलों में भ्रमण करते हैं तथा जो भी हाथ लगता है उसे आपस में मिल बांट लिया जाता है। महुआ आदिवासि जनजातीयों द्वारा बड़ी मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। एक तो उनके द्वारा महुआ फूल को सुखाकर उसका उपयोग शराब बनाने और भूनकर खाने में किया जाता है तथा महुआ फल का उपयोग तेल निकालकर उसका उपयोग भोजन पकाने के लिए भी किया जाता है। और गोंड़ सम्पत्ति जंगलों से एकत्रित कर स्थानीय बाजारों में विक्रय कर दिया जाता इसके अलावा कुछ समुदाय के लोगों द्वारा जंगल के लकड़ियो से प्राचीन समय के औजार भी बनाए जाते हैं और उनका उपयोग वर्तमान समय भी किया जा रहा है आदिवासी जनजाति प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक जंगलों में निर्भर थे और आज भी जंगलों से जुड़े हुए हैं।

शासन की योजनाओं का लाभ– मध्यप्रदेश में आदिवासी जनजातियों का विकास और उसकी प्रत्येक समस्या को राष्ट्र की समस्या के रूप में आकां गया है और अलग–अलग निवास करने वाली आदिवासी समुदाय के निवास एवं स्थानीय पते की ध्यान में रखते हुए शासन योजनाओं का लाभ उन तक पहुॅचाया जाना चाहिए, क्योंकि मेरा विचार है कि शासन द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यक्रमों का लाभ वर्ग विशेष के लिए सीमित है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों योजनाओं को छोटे वर्गों तक सही एवं ईमानदारी से इन्हें पहुॅचाना हमारी जिम्मेदारी है, तभी आदिवासियों जनजातियों के विकास का सपना सच हो पाएगा इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल है।

1. नवजीवन आवास योजना।
2. अंत्योदय स्वरोजगार योजना।
3. जल जीवन सामूहिक सिंचाई योजना।
4. वसुंधरा कृषि भूमि दृष्टि योजना एवं बंजर भूमि पुनरूद्धार योजना।
5. स्वावलंबन दुकान योजना।
6. निर्मित श्रम ढेका समिति।
7. मधु वन योजना।
8. वनजा योजना।
9. सहरना योजना आदि।

1.**नवजीवन आवास योजना**– इस योजना का लाभ सबसे अधिक गरीब वर्ग असंगठित मजदूर वर्ग आवासहीन आदिवासी जनजातियों को दिया जाता है इस योजना के तहत1991–92 मैं आदिवासी जनजातियों के 330 हितग्राहियों को 25.35 लाख रुपए से 9.17 लाख राशि व्यय किए जाना निर्धारित किया गया है।

2. **अंत्योदय स्वरोजगार योजना**– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब रेखा के नीचे जीवन जीने वाले एवं नौकरी के लिए स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए शासन–प्रशासन द्वारा गरीब आदिवासी को ₹35000 बैंक के रूप में जनजातियों को दिए जाने का प्रावधान है।

3.**जल जीवन सामूहिक सिंचाई योजना**– आदिवासी निर्धन किसान जिनके पास जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा/भाग भी है तो ऐसे आदिवासी जनजातियों को सिंचाई सुनिश्चित सुविधा प्रदान के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर जल जीवन सामूहिक सिंचाई योजना संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया है।

निष्कर्ष– आदिवासी जनजाति समाज के उत्पत्ति को लेकर अनेक विमर्श सामने आए हैं सामान्यतः आदिवासी जनजातियों की जीवन शैली और उनकी अर्थव्यवस्था उनकी संस्कृति आदि प्राचीन ग्रंथों में कुछ ही पढ़ने को मिलती है। आदिवासी जनजाति समाज को अपनी संस्कृति एवं जीवन शैली बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के कुछ अनु. में भी अंकित है, जैसे अनु.115 (6) राज्य द्वारा कुछ सहायता निधि व्यवस्था है आदिवासी जनजाति सभ्यता के समयक विकास के लिए शिस्त एवं लोक का समाजस्य आवश्यक है, आदिवासी जनजाति अधिकतर अपनी अस्मिता अस्तित्व संकट से जूझने के लिए अभीसप्त है इस अभीसप्त से उन्हें मुक्त कराने के ठोस प्रयासों की उन्हें अभी भी प्रतिज्ञा है इन्हीं बिंदुओं पर इस शोध का महत्वपूर्ण भूमिका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अश्विनी कुमार पंकज : प्राथमिक आदिवासी विमर्श, प्यारा केरकेट्टा फाउण्डेशन रॉची, 2017, पृ. 43,
2. डॉ. माधव सेनटक्के, डॉ. संजय राठौर : भारतीय साहित्य और आदिवासी विमर्श, वाणी प्रकाशन दरियागंज नई दिल्ली, 2017, पृ. 123,
3. गंगा सहाय मीड़ा : आदिवासी साहित्य विमर्श, प्रकाशन नई दिल्ली, 2013, पृ. 54,
4. आदिवासी साहित्य : आदिवासी दर्शन और समकालीन साहित्य सृजन त्रैमासिकी पत्रिका, अक्टूबर 2015 एवं मार्च 2016, पृ. 14–20,
5. डॉ. परषोत्तम कुमार : अस्मिता विमर्श विविध आयाम, प्रकाशन पटना, 2019, पृ. 12–15,
6. डॉ. अनुशब्द एवं डॉ. चारू गोयल : लोक और शास्त्र जनजातीय साहित्य, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली, 2016, पृ. 67।
7. ममता जैतली : आधी आबादी का संघर्ष, राजकमल प्रकाशन दरियागंज नई दिल्ली, 2011, पृ. 167,
8. एस एन. चौधरीएवं मनीष मिश्रा : आदिवासी विकास उपलब्धियॉ एवं चुनौतियॉ, इनक्लोडस् प्रकाशन, बाली नगर नई दिल्ली, 2012, पृ. 87,